न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
009/2017(नि.पं.) (GCMS 2017/00084)	13.10.2017	26.09.2023

अनवान

सुरेशचन्द्र पिता स्व. बंशीलाल लाठी आयु 62 साल निवासी बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

निगराकार

बनाम

1. दिलीप कुमार पिता स्व. बंशीलाल लाठी आयु वयस्क निवासी बल्दरखा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. सरह कंवर पुत्री स्व. बंशीलाल लाठी आयु वयस्क निवासी बल्दरखा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. श्रीमती सुमित्रादेवी पत्नी मुकेश कुमार जागेटिया आयु वयस्क निवासी आगालों का मौहल्ला बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. ग्राम पंचायत बस्सी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. सचिव, ग्राम पंचायत बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

गैर–निगराकारान

उपस्थिति :–	दिलीप जैन	निगराकार
	सत्यनारायण ईनाणी	गैर–निगराकार संख्या 1 व 2
	बीएल पोखरना	गैर–निगराकार संख्या 3
	अनुपस्थित	गैर–निगराकार संख्या 4 व 5

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् पट्टा संख्या 4015 दिनांक 03/09/2003 (दि.09/03/2003) बहक सरहकंवर एवं दिलीप कुमार आत्मज बंशीलाल लाठी संकल्प संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 को शून्य एवं निरस्त किये जाने।

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर–निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी ने गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर एवं भ्रष्टाचार कर तथाकथित पट्टा संख्या 4015 में दिनांक 27.08.2003 को संकल्प संख्या 9 दर्शा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया है जो प्रथम दृष्ट्वा ही निरस्त योग्य है। ग्राम बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ में मुताबिक प्रार्थना–पत्र पडोसों का भूखंड एवं इस पर दो मंजिला भवन का निर्माण सहित स्थित है। भूखण्ड निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है, जो तत्कालीन ग्राम पंचायत बस्सी से सन 1977 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत वस्सी द्वारा इसी भूखंड का दिनांक 05.12.1977 को पट्टा जारी किया गया तत्पश्चात् निगराकार ने लाखों रुपये की लागत लगाकर दो मंजिला भवन का निर्माण कराया। निगराकार एवं गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 मूलतः ग्राम बस्सी से करीब 7 किमी दूरी पर स्थित ग्राम बल्दरखा के स्थाई निवासी है तथा गैर–निगराकार दिलीप कुमार निगराकार का छोटा भाई होने से निगराकार ने ग्राम बस्सी में उक्त पडोसों का भुखंड एवं इस पर निर्मित भवन को उपयोग में लेने के लिए दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर निगराकार की जानकारी में लाये बिना ग्राम पंचायत से मिली भगत कर उक्त विवादित फर्जी दूसरा पट्टा बनवा लिया जिसकी जानकारी गैर–निगराकार द्वारा इस संपत्ति को विक्रय करने के लिए दलालों को कहने पर निगराकार को आशंका हुई कि गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर कोई जाली दस्तावेज तैयार कर लिये है और उसके आधार पर विकय करने पर आमदा हो रहा है इस पर गैर–निगराकार ने दिनांक 01.09.2017 को आम सूचना जारी कराई गई जो समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 03.09.2017 को प्रकाशित हुई है तत्पश्चात् अपनी सम्पत्ति की सुरक्षार्थ निगराकार ने गैर–निगराकार संख्या 1 को उसके नियत पते पर पंजीकृत ए.डी. से अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 06.09.2017 को सूचना–पत्र प्रेषित किया परन्तु गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार ने उक्त सूचना–पत्र को पोस्ट–मेन से मिली भगत कर लौटा दिया। निगराकार ने ग्राम पंचायत से भी जानकारी चाहीं परन्तु ग्राम पंचायत ने भी गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 के नाम पर पट्टा जारी किये जाने बाबत् कोई सूचना नहीं दी जिस पर निगराकार द्वारा श्री न्यायालय सिविल न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ में दिनांक 18.09.2017 को गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार एवं उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बस्सी को पक्षकार बनाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 095/2017 पर दर्ज हुआ एवं वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 064/2017 मु0दी0 पर दर्ज हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया गया। इस वाद के अन्तर्गत गैर–निगराकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 07.10.2017 को न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा सन् 1977 में इस भूखंड का निगराकार के नाम पर पट्टा जारी किया जाना स्वीकार करते हुए कथन किया कि निगराकार ने सन् 1977 का उक्त पट्टा बिना कब्जे के प्राप्त किया है जबकि विवादित भूखंड व मकान का पट्टा दिनांक 03.09.2003 को संबंधित ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा निगराकार संख्या 1 व 2 के नाम जारी किया गया इसलिए उक्त संपत्ति को अपनी वैध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनांक 07.09.2017 को गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा गैर–निगराकार संख्या 3 श्रीमती सुमित्रादेवी जागैटिया को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया। इस जवाब के साथ गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार द्वारा गैर–निगराकार संख्या 3 के हक में पंजीकृत कराये गये विकय पत्र की फोटो प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जिसका अवलोकन करने पर उपरोक्त पड़ोसों की संपत्ति को गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 की पैतृक संपत्ति होने तथा गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी से आबादी भुमि का विक्रय विलेख संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 को जारी करवाये जाने का उल्लेख करने से उक्त विवादित पट्टा गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा बनवा लेने एवं इस पट्टे के आधार पर गैर–निगराकार संख्या 3 को विकय कर देने की निगराकार को जानकारी होने से यह निगरानी प्रस्तुत की जाना आवश्यक हुई है। गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी से बनवाया गया तथा कथित पट्टा संख्या 4015 आधारों पर निरस्त एवं निष्प्रभावी व शून्य किये जाने योग्य है। जब किसी संपत्ति का ग्राम पंचायत द्वारा पहले से ही पट्टा जारी कर रखा है तो फिर उसी संपत्ति का दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है, इस मामले में भी ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा इसी संपत्ति का सन् 1977 में ही पट्टा जारी किया जा चुका था ऐसी स्थिति में सन् 2003 में पट्टा संख्या 4015 जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टवा ही निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 4015 जारी किये जाने हेतु पंचायत अधिनियम की कोई पालना नहीं की गई, एवं न तो कोई मिसल कायम की और न ही कोई प्रस्ताव लिया एवं बिना कोई विधिक नियमों की पालना किये निगराकार संख्या 1 व 2 ने तत्कालिन सरपंच व सचिव से मिली भगत कर झूठा व नुमाईशी तथा फर्जी पट्टा बनाकर गम्भीर आपराधिक कृत्य किया है। पंचायत अधिनियम के प्रावधान अनुसार पंचायत समिति के नियंत्रण रजिस्टर में भी इस पट्टे को जारी करने का इन्द्राज नहीं कराया जबकि पट्टा सिपूर्द करने से पूर्व पंचायत समिति में विकास अधिकारी के कार्यालय में नियंत्रण रजिस्टर में पट्टा जारी किये जाने का इन्द्राज कराया जाना आवश्यक है ताकि फर्जी पट्टे जारी नहीं होवे, इस प्रकार तत्कालीन ग्राम पंचायत ने विधिक नियमों की अवहेलना करते हुए तथाकथित पट्टा जारी कर निगराकार की संपत्ति को हड़पने की नियत से झूठे व जाली व फर्जी मूल्यवान प्रतिभूति तैयार कर एवं इस संपत्ति को गैर–निगराकार ने अपनी स्वामित्व की संपत्ति होने के रूप में उपयोग में लेकर इस संपत्ति को विक्रय कर गम्भीर आपराधिक कृत्य किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा संख्या 4015 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त पट्टा पंचायत अधिनियम के नियम 167 (1) के अन्तर्गत 1100/– रूपये में आपसी बातचीत द्वारा विक्रय किया जाना तथा पंचायत के सकंल्प संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 द्वारा पट्टा जारी करने की मंजूरी दी जाना तथा पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरकार के आदेश संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 द्वारा पुष्टि की जाने का उल्लेख करते हुए उका पट्टा दिनांक 03.9.2003 को बनाकर जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने का उल्लेख अंकित है तथा पुस्तक संख्या 111/02–03 भी प्रिन्टेड नहीं होकर पेन से अंकित किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित पट्टा पंचायत समिति द्वारा जारी किये गये पट्टा बुक से नहीं बनाया गया है बल्कि उक्त पट्टा फर्जी छपवाया गया है एवं इसकी पुष्टि भी नियंत्रण रजिस्टर में विकास अधिकारी द्वारा दर्ज कर नहीं की गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बस्सी के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने तथा निगराकार संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर एवं भ्रष्टाचार कर विधि के विपरीत पट्टा जारी किया है। जो प्रथम दृष्टया ही शून्य एवं निरस्तनीय है। उक्त पट्टा संख्या 4015 का अवलोकन करने पर ''पुश्तानी पट्टा'' शब्द पेन की स्याही से अंकित किया हुआ है तथा इस पट्टे के आधार पर गैर–निगराकार संख्या 3 के पक्ष में पंजीकृत कराये गये विकय पत्र दिनांक 07.09.2017 में उक्त संपत्ति को निगराकार संख्या 1 व 2 की पैतृक संपत्ति होने का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति भी मानी जावे तो भी उक्त संपत्ति निगराकार की पैतृक संपत्ति होकर निगराकार का भी हिस्सा बनता है एवं ग्राम पंचायत ने निगराकार को बिना कोई सूचना दिये अथवा निगराकार की सहमति लिये बगेर उक्त पट्टा गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनाकर जारी किये जाने में भारी विधिक भूल की है। पट्टा संख्या 4015 को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 द्वारा मंजुर किये जाने तथा पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरकार के आदेश संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 की पुष्टि किये जाने का उल्लेख किया हैं परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.08.2003 को संकल्प संख्या 9 नही लिया गया न ही पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरकार द्वारा आदेश संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 को पुष्टि की गई पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर दिनांक 27.08.2003 को प्रस्ताव संख्या 9 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी प्रस्ताव रजिस्टर तैयार किया गया है तथा प्रस्ताव संख्या 8 के पश्चात सभी प्रस्ताव अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग पेन व स्याही से बाद में तत्कालीन सरपंच व सचिव ने अंकित किये हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल भी कायम नहीं की गई हैं, इससे ही यह स्पष्ट हैं कि तत्कालीन सरपंच व सचिव एवं निगराकार संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर झूठा व जाली दस्तावेज तैयार कर उक्त पट्टा संख्या 4015 बनाया है जो विधि के विपरित होने से निष्प्रभावी एवं शून्य होकर निगराकार के हितो के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य है। श्री न्यायालय सिविल न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ में निगराकार द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र में गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार द्वारा दिनांक 07.10.2017 को जवाब प्रस्तुत करने एवं इसके साथ दस्तावेज विक्रय पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर गैर–निगराकार द्वारा उक्त पट्टा संख्या 4015 जारी करा लेने की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत बस्सी से पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त कर बिना किसी देरी के जानकारी दिनांक 07.10.2017 से अंदर अवधि में प्रस्तुत है, फिर भी कानूनी अडचन पैदा नहीं हो इसलिए दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग प्रस्तुत है। अंत में प्रार्थना की गई कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर तथाकथित पट्टा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 4015 ग्राम पंचायत बस्सी को शून्य, एवं निरस्त फरमाया जाकर असल पट्टा गैर–निगराकार से तहवील में लिया जाकर पट्टा निरस्ती का अंकन फरमाया जावे एवं गैर–निगराकार एवं तत्कालीन संरपंच, सचिव के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाकर किये गये आपराधिक कृत्य की सजा दिलवाई जावे।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर–निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर ग्राम पंचायत बस्सी के पत्रांक/प्रकरण/2017/393 दिनांक 16.10.2017 से ग्राम सचिव बस्सी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर ग्राम पंचायत में उपलब्ध मूल अभिलेख प्रस्तुत किया गया जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर हैं। न्यायालय आदेश दिनांक 17.10.2017 से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 21.11.2017 से गैर–निगराकार संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 23.01.2018 को गैर–निगराकार संख्या 3 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 12.06.2018 को गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। न्यायालय आदेश दिनांक 28.05.2019 से गैर–निगराकार संख्या 3 के विरूद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही एक तरफा को दौ तरफा किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 09.07.2019 को गैर–निगराकार संख्या 3 की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। दिनांक 04.02.2020 को गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 का जवाब बंद किया गया।

दिनांक 19.09.2023 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही स्थगित की जाकर निगरानी पर बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष की सहमति से बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी ने गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 से मिलीभगत कर एवं भ्रष्टाचार कर तथाकथित पट्टा संख्या 4015 में दिनांक 27.08.2003 को संकल्प संख्या 9 दर्शा कर विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया है जो प्रथम दृष्ट्वा ही निरस्त योग्य हैं। ग्राम बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ में मुताबिक प्रार्थना–पत्र पडोसों का भूखंड एवं इस पर दो मंजिला भवन का निर्माण सहित स्थित है। भूखण्ड निगराकार के स्वामित्व एवं आधिपत्य का है, जो तत्कालीन ग्राम पंचायत बस्सी से सन 1977 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत वस्सी द्वारा इसी भूखंड का दिनांक 05.12.1977 को पट्टा जारी किया गया तत्पश्चात् निगराकार ने लाखों रुपये की लागत लगाकर दो मंजिला भवन का निर्माण कराया। निगराकार एवं गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 मूलतः ग्राम बस्सी से करीब 7 किमी दूरी पर स्थित ग्राम बल्दरखा के स्थाई निवासी है तथा गैर–निगराकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिलीप कुमार निगराकार का छोटा भाई होने से निगराकार ने ग्राम बस्सी में उक्त पडोसों का भुखंड एवं इस पर निर्मित भवन को उपयोग में लेने के लिए दिया जिसका नाजायज फायदा उठाकर निगराकार की जानकारी में लाये बिना ग्राम पंचायत से मिली भगत कर उक्त विवादित फर्जी दूसरा पट्टा बनवा लिया जिसकी जानकारी गैर–निगराकार द्वारा इस संपत्ति को विक्रय करने के लिए दलालों को कहने पर निगराकार को आशंका हुई कि गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर कोई जाली दस्तावेज तैयार कर लिये है और उसके आधार पर विकय करने पर आमदा हो रहा है इस पर गैर–निगराकार ने दिनांक 01.09.2017 को आम सूचना जारी कराई गई जो समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 03.09.2017 को प्रकाशित हुई है तत्पश्चात् अपनी सम्पत्ति की सुरक्षार्थ निगराकार ने गैर–निगराकार संख्या 1 को उसके नियत पते पर पंजीकृत ए.डी. से अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 06.09.2017 को सूचना–पत्र प्रेषित किया परन्तु गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार ने उक्त सूचना–पत्र को पोस्ट–मेन से मिली भगत कर लौटा दिया।

इस पर अधिवक्ता निगराकार की बहस के जवाब में विद्वान अधिवक्ता निगराकार संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून की पालना की जाकर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर निलामी में नियमानुसार कीमत अदा की गई जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगराकार संख्या 1 व 2 को पट्टा जारी किया गया एवं वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर निगराकार संख्या 3 काबिज है। गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 को पुराने आवासीय गृह का विनियमितिकरण का पट्टा विलेख संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 को पंचायती राज अधिनियम 1994, पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) पट्टा जारी किया गया है वह पुश्तैनी आवास ग्राम बस्सी में अवस्थित का जारी किया गया है। गैर–निगराकार 1 व 2 का पुश्तैनी मकान का जांच समिति द्वारा पर्चा मौका बनाया गया। मौका स्थिति अनुसार पुस्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। नियम 157 (1) में जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो, उनका पट्टा विनियमितिकरण का जारी किया जाता है। गैर निगराकार का पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी किया गया है। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ग्राम द्वारा निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में नियमानुसार ग्राम पंचायत बस्सी के संकल्प संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 के अनुसार 1100/– रूपये एक हजार एक सौ रूपये जमा किये जाकर पट्टा संख्या 4015 जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा नियमानुसार पंजीकृत हैं इस पंजीकृत विक्रय विलेख के संबंध निगराकार को किसी भी प्रकार का उज्र–एतराज है तो निगराकार सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, इसके साथ ही पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है, जिससे भी निगराकार की निगरानी याचिका खारीज योग्य है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार आबादी भूमि का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पट्टा जारी किया गया है। जिसकी ताईद अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बस्सी से प्राप्त अभिलेख के मात्र अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता हैं कि आबादी भूमि का पुश्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार किया गया है। इसके साथ ही गैर निगराकार से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई व्यक्तिगत लाभ अर्जित नहीं किया गया है। अतः गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की और से प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में निगराकार की निगरानी सव्यय खारीज फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 3 ने अपनी बहस पत्रावली में निगराकार द्वारा निगरानी के माध्यम से उठाये गये तथ्यों को अस्वीकार करत हुए जवाब निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 27.08.2003 को जारी पट्टा विधि सम्मत होकर निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगरानी प्रार्थना–पत्र में वर्णित पडौसों के मध्य स्थित दो मंजिला भवन को विपक्षी संख्या 3 सुमित्रा देवी पत्नी मुकेश जागेटिया निवासी बस्सी जिला चित्तौडगढ ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 07.09.2017 के द्वारा बिल एवज 15,00,000/– रूपये पन्द्रह लाख में सुश्री सरहर कंवर पुत्री बंशीलाल जी लाठी निवासी बल्दरखा एवं दिलीप कुमार पिता बंशीलाल जी लाठी निवासी बल्दरखा से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया और इस प्रकार विपक्षी संख्या 3 सद्भावी क्रेता है। निगरानी प्रार्थन–पत्र में वर्णित उत्तर का पडौस सुमित्रा देवी का बताया है वह सही नहीं है। वर्तमान में पडौस अनिल जी का मकान है। सुमित्रा देवी उक्त अनिल कुमार की मां है। मौके पर कब्जा भी दिलीप कुमार एवं सरहर कंवर का था जिसे खरीदकर विपक्षी संख्या 3 सुमित्रा देवी ने पूर्ण विक्रय मूल्य प्रतिफल राशि 15,00,000/– अक्षरे पन्द्रह लाख रुपये अदा कर कब्जा प्राप्त किया और रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र कराया । इस रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को सिविल न्यायालय में चुनौती दिये बगैर मौजूदा निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को निगरानी में वर्णित संपत्ति उपयोग में लेने के लिए दिये जाने का कोई दस्तावेजी सबूत निगराकार ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण सारे तथ्य निगराकार ने झूठे अंकित किये हैं। ग्राम पंचायत का पट्टा श्रीमती सरहर कंबर एवं दिलीप कुमार के नाम का होने से इस पट्टे के आधार पर एवं मौके पर इन्हीं का कब्जा होने के आधार पर विपक्षी संख्या 3 ने 15,00,000/– अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये अदा कर मौके पर कब्जा संपत्ति प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से संपत्ति को खरीद किया हैं इस कारण विपक्षी संख्या 3 सद्भावी क्रेता है और यदि इस विक्रय–पत्र पर किसी को आपत्ति है तो वह इस निगरानी के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती हैं उसके लिए सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र को निरस्त कराया जाना आवश्यक हैं इस कारण निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। सन् 1977 में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगराकार सुरेश चन्द्र पिता स्व. बंशीलाल जी लाठी निवासी बस्सी अवयस्क था। निगराकार ने निगरानी के टाईटल में अपनी आयु 62 वर्ष होना गलत अंकित किया है। दिनांक 05.12.1977 को निगराकार सुरेश चन्द्र जो कि बंशीलाल जी का पुत्र है वह नाबालिग था। जिस पट्टा दिनांक 05.12.1977 का उल्लेख निगराकार कर रहा है वह किसी फर्म के नाम से जारी किया हुआ है। जिस पर निगराकार के हस्ताक्षर भी नहीं हैं और ऐसा कोई 05.12.1977 को जारी पट्टे की मिसल ग्राम पंचायत में नहीं है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि बंशीलाल जी के पिता का नाम हजारी लाल जी था न कि सुरेश चन्द्र के पिता का नाम हजारी लाल जी था। इस प्रकार किसी गलत पट्टे के आधार पर निगराकार अपना पट्टा होना बताकर एवं अपने स्वामित्व की संपत्ति बताकर जो निगराकार ने यह निगरानी प्रस्तुत की है वह खारिज किये जाने योग्य है। निगराकार का कोई स्वामित्व एवं कब्जा विवादित संपत्ति पर नहीं है। इस संबंध में कोई मामला सिविल न्यायाधीश चित्तौडगढ के यहां चल रहा है जिसका प्रकरण संख्या 95/2017 ई.दी एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 64/2017 की चरण संख्या 4 में वर्णित किया है इससे स्पष्ट है कि यह मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है और यदि कोई मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में निगरानी में कोई कार्यवाही कर आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है क्योंकि मामला पूर्व में सिविल न्यायालय में सबज्युडिस है इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः विपक्षी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी निगराकार की निगरानी विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध सव्यय निरस्त फरमायी जाए। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता गैर–निगराकार संख्या 3 ने अपनी बहस पत्रावल समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने बताया कि निगराकार ने ग्राम पंचायत से भी जानकारी चाहीं परन्तु ग्राम पंचायत ने भी गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 के नाम पर पट्टा जारी किये जाने बाबत् कोई सूचना नहीं दी जिस पर निगराकार द्वारा श्री न्यायालय सिविल न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ में दिनांक 18.09.2017 को गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार एवं उप पंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग बस्सी को पक्षकार बनाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 095/2017 पर दर्ज हुआ एवं वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 064/2017 मु0दी0 पर दर्ज हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया गया। इस वाद के अन्तर्गत गैर–निगराकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 07.10.2017 को न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा सन् 1977 में इस भूखंड का निगराकार के नाम पर पट्टा जारी किया जाना स्वीकार करते हुए कथन किया कि निगराकार ने सन् 1977 का उक्त पट्टा बिना कब्जे के प्राप्त किया है जबकि विवादित भूखंड व मकान का पट्टा दिनांक 03.09.2003 को संबंधित ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा निगराकार संख्या 1 व 2 के नाम जारी किया गया इसलिए उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संपत्ति को अपनी वैध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनांक 07.09.2017 को गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा गैर–निगराकार संख्या 3 श्रीमती सुमित्रादेवी जागेटिया को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया। इस जवाब के साथ गैर–निगराकार संख्या 1 दिलीप कुमार द्वारा गैर–निगराकार संख्या 3 के हक में पंजीकृत कराये गये विकय पत्र की फोटो प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जिसका अवलोकन करने पर उपरोक्त पड़ोसों की संपत्ति को गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 की पैतृक संपत्ति होने तथा गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी से आबादी भुमि का विक्रय विलेख संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 को जारी करवाये जाने का उल्लेख करने से उक्त विवादित पट्टा गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा बनवा लेने एवं इस पट्टे के आधार पर गैर–निगराकार संख्या 3 को विकय कर देने की निगराकार को जानकारी होने से यह निगरानी प्रस्तुत की जाना आवश्यक हुई है। गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत बस्सी से बनवाया गया तथा कथित पट्टा संख्या 4015 आधारों पर निरस्त एवं निष्प्रभावी व शून्य किये जाने योग्य है। जब किसी संपत्ति का ग्राम पंचायत द्वारा पहले से ही पट्टा जारी कर रखा है तो फिर उसी संपत्ति का दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है, इस मामले में भी ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा इसी संपत्ति का सन् 1977 में ही पट्टा जारी किया जा चुका था ऐसी स्थिति में सन् 2003 में पट्टा संख्या 4015 जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टवा ही निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा उक्त पट्टा संख्या 4015 जारी किये जाने हेतु पंचायत अधिनियम की कोई पालना नहीं की गई, एवं न तो कोई मिसल कायम की और न ही कोई प्रस्ताव लिया एवं बिना कोई विधिक नियमों की पालना किये निगराकार संख्या 1 व 2 ने तत्कालिन सरपंच व सचिव से मिली भगत कर झूठा व नुमाईशी तथा फर्जी पट्टा बनाकर गम्भीर आपराधिक कृत्य किया है। पंचायत अधिनियम के प्रावधान अनुसार पंचायत समिति के नियंत्रण रजिस्टर में भी इस पट्टे को जारी करने का इन्द्राज नहीं कराया जबकि पट्टा सिपूर्द करने से पूर्व पंचायत समिति में विकास अधिकारी के कार्यालय में नियंत्रण रजिस्टर में पट्टा जारी किये जाने का इन्द्राज कराया जाना आवश्यक है ताकि फर्जी पट्टे जारी नहीं होवे, इस प्रकार तत्कालीन ग्राम पंचायत ने विधिक नियमों की अवहेलना करते हुए तथाकथित पट्टा जारी कर निगराकार की संपत्ति को हड़पने की नियत से झूठे व जाली व फर्जी मूल्यवान प्रतिभूति तैयार कर एवं इस संपत्ति को गैर–निगराकार ने अपनी स्वामित्व की संपत्ति होने के रूप में उपयोग में लेकर इस संपत्ति को विक्रय कर गम्भीर आपराधिक कृत्य किया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा संख्या 4015 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उक्त पट्टा पंचायत अधिनियम के नियम 167 (1) के अन्तर्गत 1100/– रूपये में आपसी बातचीत द्वारा विक्रय किया जाना तथा पंचायत के सकंल्प संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 द्वारा पट्टा जारी करने की मंजूरी दी जाना तथा पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरकार के आदेश संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 द्वारा पुष्टि की जाने का उल्लेख करते हुए उका पट्टा दिनांक 03.9.2003 को बनाकर जारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये जाने का उल्लेख अंकित है तथा पुस्तक संख्या 111/02–03 भी प्रिन्टेड नहीं होकर पेन से अंकित किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित पट्टा पंचायत समिति द्वारा जारी किये गये पट्टा बुक से नहीं बनाया गया है बल्कि उक्त पट्टा फर्जी छपवाया गया है एवं इसकी पुष्टि भी नियंत्रण रजिस्टर में विकास अधिकारी द्वारा दर्ज कर नहीं की गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बस्सी के तत्कालीन सरपंच व सचिव ने तथा निगराकार संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर एवं भ्रष्टाचार कर विधि के विपरीत पट्टा जारी किया है। जो प्रथम दृष्टया ही शून्य एवं निरस्तनीय है। उक्त पट्टा संख्या 4015 का अवलोकन करने पर ''पुश्तानी पट्टा'' शब्द पेन की स्याही से अंकित किया हुआ है तथा इस पट्टे के आधार पर गैर–निगराकार संख्या 3 के पक्ष में पंजीकृत कराये गये विक्रय पत्र दिनांक 07.09.2017 में उक्त संपत्ति को निगराकार संख्या 1 व 2 की पैतृक संपत्ति होने का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति भी मानी जावे तो भी उक्त संपत्ति निगराकार की पैतृक संपत्ति होकर निगराकार का भी हिस्सा बनता है एवं ग्राम पंचायत ने निगराकार को बिना कोई सूचना दिये अथवा निगराकार की सहमति लिये बगेर उक्त पट्टा गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में बनाकर जारी किये जाने में भारी विधिक भूल की है। पट्टा संख्या 4015 को जारी करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 द्वारा मंजुर किये जाने तथा पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरकार के आदेश संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 की पुष्टि किये जाने का उल्लेख किया है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.08.2003 को संकल्प संख्या 9 नही लिया गया न ही पंचायत समिति/जिला परिषद/राज्य सरकार द्वारा आदेश संख्या 9 दिनांक 27.08.2003 को पुष्टि की गई पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर दिनांक 27.08.2003 को प्रस्ताव संख्या 9 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी प्रस्ताव रजिस्टर तैयार किया गया है तथा प्रस्ताव संख्या 8 के पश्चात सभी प्रस्ताव अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग पेन व स्याही से बाद में तत्कालीन सरपंच व सचिव ने अंकित किये हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा कोई मिसल भी कायम नहीं की गई हैं, इससे ही यह स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच व सचिव एवं निगराकार संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर झूठा व जाली दस्तावेज तैयार कर उक्त पट्टा संख्या 4015 बनाया है जो विधि के विपरित होने से निष्प्रभावी एवं शून्य होकर निगराकार के हितो के विरूद्ध प्रभावहीन व शून्य है। अतः प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर तथाकथित पट्टा संख्या 4015 ग्राम पंचायत बस्सी को शून्य, एवं निरस्त फरमाया जाकर असल पट्टा गैर–निगराकार से तहवील में लिया जाकर पट्टा निरस्ती का अंकन फरमाया जावे एवं गैर–निगराकार एवं तत्कालीन संरपंच, सचिव के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाकर किये गये आपराधिक कृत्य की सजा दिलवाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का बागौर आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)पराविं/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया हैं। गैर–निगराकार संख्या 3 द्वारा क्षेत्राधिकारिता के संबंध में तथ्य उठाया गया है। हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि अधिनियम 1994 की धारा 97 की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को पूर्ण रूपेण से प्राप्त हैं, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। निगराधीन पट्टा संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 के अवलोकन से जाहिर आया है कि उक्त पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख होकर नियम 167 के तहत निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया है। उक्त पट्टे पर पुश्तैनी पट्टा का अंकन किया गया है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा प्रेषित अभिलेख का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर जाहिर आया है कि उक्त पट्टा संख्या 4015 जरिये मिसल संख्या 111/2002–03 के संबंध में जारी किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल संख्या 111/2002–03 का अवलोकन किये जाने पर जाहिर आया है कि गैर–निगराकार संख्या 1 व 2 द्वारा पुश्तैनी पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। गैर–निगराकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर दिनांक अंकित नहीं की गई है। एवं आवेदन में स्पष्ट रूप से पुश्तैनी पट्टा जारी किये जाने हेतु अंकित किया गया है। गैर–निगराकारान संख्या 1 व 2 ने जो नजरी नक्शा अंकित किया गया है उसके अनुसार आवेदित क्षेत्रफल 1230 वर्गफीट हेतु आवेदन किय गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित पट्टा पुश्तैनी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना पाया जाता है। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये है।

157. **Regularisation of old houses.-**

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

(a)	For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules	Rs. 100 /-
(b)	For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016].	Rs. 200/-

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। प्रावधानुसार जहॉ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जा सकेगा। यहॉ यह तथ्य महत्वपूर्ण के है कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि स्थित गृहों के विनियमितीकरण किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है गैर आबादी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को अधिकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 द्वारा प्रदान नहीं किये गये है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अभिलेख में पत्रालवी में संलग्न आज्ञाओं की सूची में वर्णित आज्ञाओं में आज्ञा संख्या 1 दिनांक 02.12.2002 से को पुश्तैनी मकान के मौका निरीक्षण हेतु 3 वार्ड पंचों की नियुक्ति की गई है। आज्ञा संख्या 2 दिनांक (निल) से 3 वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर मौका निरीक्षण कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया है। उक्त आज्ञा में 3 वार्ड पंच के हस्ताक्षर है किन्तु निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई एवं ना निरीक्षण दिनांक का अंकन किया गया है। प्रकरण में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौका निरीक्षण पूर्ण कोरम से कब किया गया है यह संशय का विषय है। मौका निरीक्षण किये जाने के संबंध में कोई पत्र पत्रावली पर उलब्ध नहीं है। आवेदक के प्रार्थना–पत्र में भूखण्ड का किसी भी प्रकार से नाप–चौक क्षेत्रफल 1230 वर्गफीट अंकित किया गया। भूखण्ड के संबंध में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण–पत्र नहीं है। ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा नियम 148 के तहत सूचना–पत्र बाबत् आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह के विनियमितीकरण के संबंध में आक्षेप आमंत्रित किये जाने को रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जबकि आवेदक स्वयं द्वारा पुश्तैनी पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गयाहै। इसके साथ ही पत्रावली पर कोई भी नक्शा उपलब्ध नहीं है। वार्ड पंचों की कमेटी रिपोर्ट में भूखण्ड के मौका नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण किये जाने के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बने हुये मकान का मौका नक्शा ही है। पुश्तैनी पट्टा संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 के मकान की वस्तु–स्थिति जिसमें मकान का नक्शा को रिकार्ड पर लिये बिना हैं विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में गैर निगराकार संख्या 1 व 2 को निगराधीन पट्टा संख्या 4015 में कुल 720 वर्गफीट का पट्टा किस प्रकार जारी किया गया है। इसका अंकन पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधानो की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा त्रुटि कारित की गई है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही निगराकार द्वारा दिनांक 05.12.1977 को जारी पट्टे के संबंध में अपने निगरानी आवेदन में तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में गैर–निगराकारान द्वारा कोई ठोस प्रत्युत्तर पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत बस्सी पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित पट्टा संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत बस्सी द्वारा जारी पट्टा संख्या 4015 दिनांक 03.09.2003 जो कि गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **26.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official